**भारत सरकार**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय**

**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं. **4762** जिसका उत्तर
**शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक)** को दिया जाना है

**पत्तनों, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में वैश्विक भागीदारी**

**†4762. श्री बिप्लब कुमार देब :**

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तनों, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अन्य देशों या उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) देश के पत्तन संबंधी विधानों, समुद्री सेवाओं और क्षेत्रीय शासन व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए क्या सुधार किए गए हैं; और
(ग) क्या सरकार ने समुद्री गतिविधियों को सुदृढ़ करने के लिए किसी तकनीकी अथवा परिचालन संबंधी सुधारों पर विचार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री**
**(श्री सर्बानंद सोणोवाल)**

**(क):** जी, हां। सरकार पत्तनों, पोत परिवहन और समुद्री लॉजिस्टिक्स में सहयोग के लिए विदेशी सरकारों, बहु-पक्षीय संगठनों और वैश्विक समुद्री उद्योग के साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से बात कर रही है। इनमें पत्तन आधुनिकीकरण, पोत परिवहन अवसंरचना का विकास, हरित पोत परिवहन पहल, डिजिटलीकरण और समुद्री कौशल विकास शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि जिन मुद्दों पर हाल में बात हुई है उनमें उत्तरी समुद्री मार्ग, पूर्वी समुद्री कोरिडोर और ध्रुवीय जलों में भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण की संभावना तलाशने के लिए भारत-रूस साझेदारी, हरित पोत परिवहन में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र के लिए भारत की डेनमार्क के साथ साझेदारी और हरित और डिजिटल पोत परिवहन कोरिडोर के लिए भारत-सिंगापुर साझेदारी शामिल है। इसके अलावा, दीनदयाल पत्तन

प्राधिकरण, कांडला ने हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया और व्युत्पन्न उत्पादों के लिए भंडारण, हैंडलिंग, परिवहन और प्रेषण सुविधाओं सहित तकनीकी रूप से उन्नत, अत्याधुनिक आपूर्ति की सुविधाएं स्थापित करने के लिए पोर्ट ऑफ रोट्टेर्डम के साथ सहयोग किया है।

भारत में पत्तन क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की भी अनुमति है। डीपी वर्ल्ड, यूएई, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन, केरल में कोचिन पत्तन, तमिलनाडु में चेन्नै पत्तन जैसे विभिन्न स्थानों पर कंटेनर टर्मिनलों का प्रचालन कर रहा है। इसके अलावा, डीपी वर्ल्ड, गुजरात राज्य में टूना-टेकरा, दीनदयाल पत्तन में एक कंटेनर टर्मिनल भी विकसित कर रहा है। इसी प्रकार पीएसए सिंगापुर, महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पत्तन में टर्मिनलों का प्रचालन करता है।

सरकार ने संभावित सहयोग के लिए अवसरों को तलाशने के लिए संयुक्त कार्यकारी समूहों की बैठकों/द्विपक्षीय बैठकों और समझौता-ज्ञापन/आशय-पत्र आदि के माध्यम से समुद्री देशों जैसे नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, इटली, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, सउदी अरब, श्री लंका, म्यांमार, ओमान आदि के साथ बात की है। इंडिया मैरीटाइम वीक, 2025, जिसे 27-31 अक्तूबर, 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया था, में 93 से अधिक देशों ने सहभागिता की और इसमें 1,00,000 से अधिक प्रतिनिधियों और हितधारकों ने भाग लिया।

**(ख) से (ग):** हाल ही में अधिनियमित किए गए समुद्री क्षेत्र के प्रमुख नए विधान निम्नलिखित हैं:

- वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 2025
- तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2025
- भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025
- वहन पत्र अधिनियम, 2025
- समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 2025
- नौचालन के लिए समुद्री सहायता अधिनियम, 2021
- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021

इन विधानों और विभिन्न परियोजनाओं को पत्तनों पर कार्गो हैंडलिंग, तटीय पोत परिवहन, क्रूज पर्यटन और मत्स्य पालन आदि को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी, प्रचालन और क्षमता वृद्धि हेतु शुरू किया गया है। पिछले

दस वर्षों में महापत्तनों की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं।

इसके अलावा, सभी पत्तनों और जलमार्गों में डिजिटलीकरण, हरित पोत परिवहन और समुद्री नवाचार को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें शुरू की गई, जो इस प्रकार हैं:

पत्तनों और जलमार्गों में डिजिटलीकरण के प्रयास, प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, मानवीय सहायता को कम से कम करने और हितधारकों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ाने पर केन्द्रित हैं। लेन-देन मात्रा को कम करने और कार्गो प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी लाने के उद्देश्य से प्रलेखन प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने तथा प्रचालन उपायों को पुन: तैयार करने के लिए वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस (ओएनओपी) पहल शुरू की गई है। समुद्री क्षेत्र में प्रचालन दक्षता बढ़ाने के लिए मैरीटाइम सिंगल विंडो (सागर सेतु), ई-समुद्र, ई-परीक्षा और जलयान एवं नाविक जैसे अन्य कई पहलें, आईटी प्रणालियों को सुदृढ़ कर रही हैं।

समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण के उद्देश्य में सहायता करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 2023 में शुरू किए गए ''हरित सागर'' हरित पत्तन दिशा-निर्देशों में कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए भारतीय पत्तनों के लिए एक ढांचे की व्यवस्था की गई है। अन्य उपायों में वैकल्पिक ईंधनों, कम/शून्य उत्सर्जन वाले उपकरण को अपनाना, और नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण करना शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा तीन महापत्तनों को हरित हाइड्रोजन हब पत्तन के रूप में मान्यता दी गई है, और ग्रीन टन ट्रांजिशन प्रोग्राम पारंपरिक डीजल संचालित टगों से कम उत्सर्जन वाले विकल्पों में चरणबद्ध बदलाव की रूपरेखा तैयार करता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश के पोत निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 69,725 करोड़ रु. का व्यापक पैकेज अनुमोदित किया है। इस पहल के तहत चार-स्तंभ का दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसका उद्देश्य वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उन्नत, और सुदृढ़ समुद्री क्षेत्र विकसित करना है। इन पहलों में पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना, समुद्री विकास निधि, पोत निर्माण विकास योजना और नीतिगत, प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत सुधार करना शामिल है। राष्ट्रीय पोत निर्माण मिशन, इस ढांचे के तहत सभी पहलों के समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए नोडल निकाय है।

*****